




अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी ( नागौर )

मुकदमा नं. पुकिना पड से 190/2021

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>सरकार काम अंतरालाए हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>
------------------------	--	--

4005 NO. 2021/238

633 अकवा 034 अक्षर हीष शीम का डीर हीष  
उपयोग कर लिया गया है।  
अतः दिनांक 22/06/2021 को जारी अस्थायी  
निषेधाज्ञा को वापिस ला संरुद्ध किया जाता है फसल  
फसल शुमार लेकर नम्बर से कम लेकर शहीजल  
हफ्तर है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी, डाडवाना-कुचामन